बीस रुपये

93

RS. 30

BEFORE THE LEARNED BOARD OF REVENUE, GWALIOR, CAMP AT REWA (M.P.)

प्र/अपील/उमरिया/भू.रा./
2017/1854

Second Appeal No. /2017

APPELLANT: Santosh Kumar Gupta
S/o Shri Makarand Kumar Gupta,
Aged about 48 years,
R/o Purana Padav,
Umariya District-Umariya (M.P.)

अधि० श्री रामउजागर सिंह तिवारी द्वारा पेश। 21.6.17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट)

-Versus-

RESPONDENTS: 1. State of Madhya Pradesh,
Through- Collector,
Umariya, District-Umariya (M.P)

SECOND APPEAL UNDER SECTION 44(2) OF M.P.LAND REVENUE CODE, 1959.

Being aggrieved by order dated 19.08.2014 passed by the Court of Commissioner Shahdol in Revenue Case No.122/Appeal/2013-14, whereby the application under Section 5 of Limitation Act has been rejected and as such in consequence First Appeal has been dismissed, confirming order dated 28.05.2012 passed by Respondent No.2, instant Second Appeal is being filed before this Learned Court on following facts and grounds.

FACTS

Appellant most humbly begs to submit as under:-

1. That, the appellant is resident in a house constructed in 1500 Sq.ft. (30x50 Sq.ft.)which is

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन / ~~विविध~~ / अपील / उमरिया / भू.रा. / 2017 / 1854

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण क्रमांक 122 / 2013–14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 19–8–2014 के विरूद्व यह द्वित्तीय अपील राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में दिनांक 21–6–17 को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2 / अपील की प्रचलनशीलता पर अपीलांट के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3 / अपीलांट के अभिभाषक का तर्क है कि अपीलांट ने उमरिया स्थित सर्वे क्रमांक 248 के अंश भाग 30X50 वर्गफुट के भूखंड को स्थाई लीज पर लेने के लिये आवेदन दिया था, जो प्रकरण क्रमांक 28 अ–20 / 2004–05 में पारित आदेश दिनांक 28–5–12 से निरस्त हुआ। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में अभिभाषक नियुक्त किया था किन्तु अभिभाषक ने आदेश दिनांक 28–5–12 की समय पर सूचना नहीं दी एंव न्यायालय ने भी अपीलांट को आदेश सूचित नहीं किया। जब अपीलांट को आदेश दिनांक 28–5–12 की जानकारी हुई, कमिश्नर शहडौल संभाग, शहडौल के यहॉ अपील क्रमांक 122 / 2013–14 प्रस्तुत की गई, किन्तु कमिश्नर शहडौल संभाग ने अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिये तथ्यों पर ध्यान दिये बिना आदेश दिनांक 19–8–14 से अपील निरस्त करने में भूल की है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जॉय। 4 / अपीलांट के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने	

एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय में राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–1 के अंतर्गत आवेदन देकर उमरिया स्थित सर्वे क्रमांक 248 के अंश भाग 30X50 वर्गफुट के भूखंड को स्थाई लीज पर लेने के लिये आवेदन दिया है। ऐसे आवेदन को स्वीकार करने अथवा निरस्त किये जाने वावत् पारित आदेश के विरूद्व राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–1 की कंडिका 18 में अपील का प्रावधान नहीं है अपितु इस प्रकार प्रावधान हैं :–

कंडिका 18 अभ्यावेदन – राज्य शासन के अधीनस्थ अधिकारी व्दारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व नीचे दिये गये तरीके से अभ्यावेदन या आवेदन किया जा सकेगा –

1. नजूल अधिकारी व्दारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व कलेक्टर को,
2. कलेक्टर व्दारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व आयुक्त को,
3. आयुक्त व्दारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व राज्य शासन को।

अपीलांट के अभिभाषक ने उक्त नियमों से हटकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की है एंव राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–1 की कंडिका 18 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त सम्बन्ध में राजस्व मण्डल को सुनवाई के अधिकार न होकर राज्य शासन को है। अतः मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत द्वित्तीय अपील अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है।

अदस्य